

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: २६०७ / १४-१, दिनांक: अलीगढ़, फरवरी ०६, २०१९

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:- कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस०एच०-३३) कि०मी० चैनेज १३४.०२२ की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा संख्या-४८९ पर बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०९४७६८ हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:- शासन की पत्र संख्या पी-८४/१४-२-२०१८-८००(७५)/२०१८ दिनांक १६.०४.२०१८ एवं आपका पत्र संख्या २९४२/कासगंज/३१०७८/२०१७ दिनांक १२.०४.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में शासन द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज ने पत्र संख्या १५८१/१४-१ दिनांक ०४.०२.२०१९ द्वारा निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण कर सहमति/संस्तुति सहित अभिलेख ०३ प्रतियों में प्रेषित हैं।

S.No	Observation	REPLY
1	कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस०एच०-३३) कि०मी० चैनेज १३४.०२२ की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा संख्या-४८९ पर बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०९४७६८ हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में बी०पी०सी०एल० की तरफ से श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबन्धक(रिटेल) मथुरा का प्रस्ताव के साथ पावर ऑफ एटार्नी संलग्न नहीं है।	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० मथुरा के प्रादेशिक प्रबन्धक श्री टोनेश चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ एटार्नी, करे जिसको ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी०के० मिश्रा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: २६०७ / दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज
2. प्रादेशिक प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० मथुरा।

(वी०के० मिश्रा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।